



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072025-265029
CG-DL-E-28072025-265029

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3384]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947

No. 3384]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3461(अ).— केंद्रीय सरकार, तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (द) के साथ पठित, तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, पर्यावरण को हुए नुकसान, चोट या हानि की लागत और विध्वंस की लागत तथा पर्यावरण निगरानी निधि के उपयोग के आकलन के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण को होने वाले नुकसान की लागत का आकलन और विध्वंस की लागत तथा पर्यावरण निगरानी निधि के उपायोग के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, 2025 है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. लोक शिकायत.- (1) यदि कोई तटीय जलकृषि इकाई तटीय पर्यावरण को प्रदूषण करती है, तो कोई भी व्यक्ति इकाई का विवरण और इकाई द्वारा उत्पन्न प्रदूषण की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करते हुए संबंधित उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति या प्राधिकरण को लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है।

(2) उप-पैरा (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, संबंधित उप-मंडल स्तरीय समिति या संबंधित जिला स्तरीय समिति या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रारंभिक जांच करेगा और आगे की कार्रवाई के लिए प्राधिकरण को क्षेत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) (क) प्राधिकरण, संबंधित उप-मंडल स्तरीय समिति या संबंधित जिला स्तरीय समिति या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की रिपोर्ट के आधार पर इकाई के संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें कथित उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख होगा।

(ख) इकाई संचालक ऐसे कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्राधिकरण को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि प्राधिकरण संचालक के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है, तो वह मामले को आगे की कार्रवाई के लिए पैरा 3 के अधीन गठित पर्यावरण निगरानी समिति को भेजेगा।

3. पर्यावरण निगरानी समिति का गठन.- प्रत्येक तटीय जिले में एक पर्यावरण निगरानी समिति गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य, पदेन शामिल होंगे, अर्थात्:

(क) जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति: अध्यक्ष;

(ख) जिला राजस्व अधिकारी या राजस्व मंडल अधिकारी: सदस्य;

(ग) जिला पर्यावरण अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: सदस्य;

(घ) जिला कृषि अधिकारी: सदस्य;

(ड.) सिंचाई या जिला जल संसाधन प्रमुख: सदस्य;

(च) जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समकक्ष: सदस्य;

(छ) अध्यक्ष द्वारा सहयोगित कोई अन्य अधिकारी या विशेषज्ञ: सदस्य;

(ज) सीएए अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारी: सदस्य;

(इ) मत्स्य विभाग के जिला प्रमुख: सदस्य संयोजक।

4. पर्यावरण निगरानी समिति के कार्य और शक्तियां.- (1) पर्यावरण निगरानी समिति तटीय जलकृषि इकाई का निरीक्षण करेगी और उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति या प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पर्यावरण को प्रदूषण और क्षति पहुंचाने वाले क्रियाकलाप की समीक्षा करेगी।

(2) पर्यावरण को हुए नुकसान की पुष्टि पर, पर्यावरण निगरानी समिति तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान, तटीय जलकृषि इकाइयों के विध्वंस की लागत या तटीय पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले क्रियाकलाप का आकलन करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग या समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अन्य विभागों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करेगी तथा आकलन की रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत करेगी।

(3) उप-पैरा (2) के अधीन मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, समिति रिपोर्ट को अनुमोदित करेगी और प्ररूप आर-1 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक द्वारा प्रदूषणकारी इकाई को नोटिस जारी करेगी, जिसमें तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान, चोट या हानि का व्यौरा, उसके लिए आई लागत और इकाई की विध्वंस लागत या ऐसी प्रदूषणकारी इकाई या क्रियाकलाप के संचालक द्वारा भुगतान योग्य क्रियाकलापों की लागत का व्यौरा देते हुए प्राधिकरण और संबंधित जिला स्तरीय समिति को सूचित किया जाएगा।

(4) प्रदूषक को इस प्रकार हुए नुकसान या हानि की लागत वहन करनी होगी।

(5) समिति प्राधिकरण को इस संबंध में सिफारिश करेगी कि तटीय पर्यावरण को हुई क्षति, चोट या हानि के लिए इस पैरा के अधीन भुगतान की गई लागत या ऐसी इकाई या क्रियाकलाप को हटाने या ध्वस्त करने के लिए वसूल की गई लागत का उपयोग किस रीति से किया जाएगा।

5. तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत के आकलन और इकाई को हटाने या ध्वस्त करने की प्रक्रिया.- (1) मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते समय, पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान, चोट या हानि के संबंध में तकनीकी मापदंडों को ध्यान में रखेंगे और निम्नलिखित संसाधनों पर विचार करके तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान, चोट या हानि की लागत का आकलन करेंगे, अर्थात्:-

(क) आसपास के जलमार्ग;

- (ख) भूजल की गुणवत्ता;
- (ग) संसाधनों की जल गुणवत्ता;
- (घ) पेयजल स्रोत;
- (ड.) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा पाए गए कोई अन्य संसाधन।

(2) प्राधिकृत अधिकारी तकनीकी मापदंडों जैसे स्थलाकृति, मृदा संरचना, विध्वंस के लिए किए जाने वाले कार्य की मात्रा और परिमाण, निष्पादन की रीति, मैनुअल या यांत्रिक लागत, अन्य इंजीनियरिंग पहलुओं का पालन करके इकाई या क्रियाकलाप के विध्वंस की लागत का आकलन करेंगे और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या राज्य लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची के आधार पर लागत पर पहुंचेंगे।

(3) तटीय पर्यावरण को हुई क्षति की लागत, नमूने के संग्रहण और विश्लेषण की लागत तथा इकाई या क्रियाकलाप के विध्वंस की लागत का आकलन करने पर, प्राधिकृत अधिकारी क्षेत्र निरीक्षण की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पर्यावरण निगरानी समिति को विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करेंगे, ताकि तदनुसार लागत के भुगतान के लिए इकाई या क्रियाकलाप के संबंधित संचालक को सूचित किया जा सके।

(4) इकाई या क्रियाकलाप का संचालक तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अधीन शास्ति के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसमें पर्यावरण निगरानी समिति द्वारा सूचित नमूनों के संग्रहण और परीक्षण की लागत भी शामिल होगी।

6. इकाई या क्रियाकलाप के संचालक द्वारा लागत का भुगतान.- पैरा 4 के उप-पैरा (3) के अधीन पर्यावरण निगरानी समिति से जारी नोटिस प्राप्त होने पर, इकाई या क्रियाकलाप संचालक को निम्नलिखित का पालन करना होगा, अर्थात् :-

- (क) यदि ऐसा निर्देश दिया जाए तो नोटिस प्राप्त होने की तारीख से इकाई या क्रियाकलाप का संचालन बंद कर देना;
- (ख) पर्यावरण निगरानी समिति द्वारा सूचित क्षति, चोट या हानि की लागत, इकाई या क्रियाकलाप को हटाने या ध्वस्त करने की लागत या नमूनों के संग्रहण और परीक्षण की लागत का भुगतान, नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में चेन्नई में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या पर्यावरण निगरानी समिति और जिला स्तरीय समिति को सूचना देते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान करना;
- (ग) यदि इकाई या क्रियाकलाप का संचालक समिति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर बताई गई इकाई या क्रियाकलाप को ध्वस्त करने की लागत या नमूने के संग्रहण और विश्लेषण की लागत या तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत का भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसी लागत तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 22क के अधीन भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी;
- (घ) जिला कलेक्टर या जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष संचालक से लागत वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे और प्राधिकरण के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण के खाते में राशि जमा करेंगे।

7. तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप को हटाने या ध्वस्त करने की शर्तें.- प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 7 के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा आदेशित किसी भी इकाई या क्रियाकलाप या संरचना को हटाएगा या ध्वस्त करेगा, जैसा कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात् :-

- (क) संबंधित इकाई संचालक को कम से कम चौबीस घंटे पहले नोटिस जारी करना, जिसमें इकाई या क्रियाकलाप या संरचना को हटाने या ध्वस्त करने के प्राधिकरण के निर्णयों के बारे में मालिक को सूचित किया जाएगा, परंतु प्राधिकरण ऐसे मामलों में नोटिस की अपेक्षा को माफ कर सकता है, जैसा कि वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले विशिष्ट कारणों से उचित समझे ;
- (ख) इकाई या क्रियाकलाप को हटाने या ध्वस्त करने का कार्य मालिक या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा;
- (ग) संरचनाओं को हटाने या ध्वस्त करने का कार्य अधिमानतः दिन के दौरान किया जाएगा;

(घ) निषिद्ध एंटीबायोटिक्स और अन्य सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के लिए जल, मिट्टी, जलकृषि इनपुट और कृषि किए गए जीवों के नमूने संग्रहण के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2008 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

8. इकाई या क्रियाकलाप के विध्वंस की लागत के लिए प्राप्त राशि का उपयोग.- (1) प्राधिकरण के खाते से धनराशि ऐसी निष्पादन अभिकरण को जारी की जाएगी, जिसे जिला कलेक्टर या जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष द्वारा तटीय जलकृषि इकाई या क्रियाकलाप को हटाने या ध्वस्त करने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

(2) प्राधिकरण द्वारा पैरा 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी निष्पादन अभिकरण द्वारा निष्पादित कार्य की प्रगति की निगरानी करेगा और पर्यावरण निगरानी समिति को रिपोर्ट करेगा।

(3) पर्यावरण निगरानी समिति द्वारा नियुक्त अधिकारी निष्पादन अभिकरण को जारी की गई राशि का अभिलेख रखेंगे तथा पर्यावरण निगरानी समिति या जिला स्तरीय समिति और प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(4) प्राधिकरण उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट राशि का पचास प्रतिशत कार्य प्रारंभ होने से पूर्व अग्रिम राशि के रूप में जारी करेगा और शेष राशि जिला स्तरीय समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात कार्य पूरा होने पर जारी करेगा।

(5) प्राधिकरण प्राप्त राशि और उसके उपयोग के उचित अभिलेख और रजिस्टर बनाए रखेगा।

9. पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत के लिए प्राप्त राशि का उपयोग.- (1) तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत के लिए प्राप्त राशि को प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाएगा।

(2) निष्पादन अभिकरण प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पर्यवेक्षण में तटीय पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करेगी।

(3) पर्यावरण निगरानी समिति द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी निष्पादन अभिकरण द्वारा तटीय पर्यावरण के पुनरुद्धार के लिए किए गए कार्य की लागत का आकलन करेंगे तथा पर्यावरण निगरानी समिति और जिला स्तरीय समिति और प्राधिकरण को रिपोर्ट करेंगे।

प्रूप द-1

[पैरा 4 का उप-पैरा (3) देखें]

प्रदूषणकारी तटीय जलकृषि इकाई/क्रियाकलाप के संचालक को नोटिस

| | | |
|----|--|----------------------|
| 1. | प्रदूषणकारी तटीय जलकृषि इकाई/क्रियाकलाप के संचालक का नाम और पता | |
| 2. | तटीय जलकृषि इकाई/क्रियाकलाप का प्रकार (फार्म/हैचरी/मैरीकल्चर इकाई/बीएमसी/एनबीसी/आदि, (विनिर्दिष्ट करें) | |
| 3 | प्रदूषणकारी इकाई/क्रियाकलाप का स्थान | |
| | क. सर्वेक्षण संख्या | |
| | ख. भू -निर्देशांक | देशांतर: अक्षांशः |
| | ग. गाँव | |
| | घ. तालुक/मंडल | |
| | ड. जिला | |
| | च. राज्य | |
| | छ. पिन कोड | |

| | | |
|----|--|--|
| 4. | सीएए द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण संख्या (यदि लागू हो) जारी करने की तारीख और वैधता अवधि के साथ | |
| 5. | इकाई/क्रियाकलाप का विस्तार (हेक्टेयर में) (खेतों के मामले में कुल कृषि क्षेत्र और जल प्रसार क्षेत्र (हेक्टेयर) | |
| 6. | तटीय पर्यावरण को हुई क्षति, चोट या हानि की प्रकृति | |
| 7. | लागत राशि (रुपए में) | |
| | क. पर्यावरण को हुए नुकसान की लागत | |
| | ख. इकाई के विध्वंस की लागत | |
| | ग. पर्यावरण को बहाल करने के लिए मुआवजे की लागत | |
| | घ. नमूना संग्रहण और विश्लेषण की लागत | |
| | ड. सर्वेक्षण और मूल्यांकन आदि में शामिल अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य आकस्मिक व्यय | |
| | च. कोई अन्य व्यय (विनिर्दिष्ट करें) | |
| | कुल देय लागत | |
| 8. | भुगतान की नियत तारीख | |

टिप्पण :

- भुगतान तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में चेन्नई में देय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) के माध्यम से सीएए को प्रस्तुत किया जाएगा
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान के मामले में, तटीय जलकृषि प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाएगा।
- इकाई/क्रियाकलाप के संचालक से भुगतान प्राप्त होने पर, जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) विस्तृत रिपोर्ट के साथ सीएए को अग्रेप्त करेगा

स्थान :

तारीख:

अध्यक्ष, डीएलसी के हस्ताक्षर

पर्यावरण निगरानी समिति

कार्यालय की मुहर के साथ

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2025

S.O. 3461(E).—In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (r) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby makes the following guidelines for the assessment of cost for the damage, injury or loss to environment and cost of demolition and utilisation of environment monitoring fund, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These guidelines may be called the Assessment of Cost for the Damage to Environment and Cost of Demolition and Utilisation of Environment Monitoring Fund Guidelines, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Public Grievances.— (1) If any coastal aquaculture unit causes pollution to the coastal environment, any person may file a written complaint specifying details of the unit and nature of pollution caused by the unit to the Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee concerned or the Authority.

(2) On receipt of the complaint under sub-paragraph (1), the concerned Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee concerned or the person authorised by the Authority shall conduct preliminary enquiry and submit the field report to the Authority for further action.

(3) (a) The Authority, based on the report from Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee concerned or the person authorised by the Authority shall issue a show-cause notice to the operator of the unit, indicating the nature of the contravention alleged to have been committed.

(b) The unit operator shall submit its explanation to the Authority within a period of fifteen days from the date of receipt of such show cause notice.

(4) If the Authority is not satisfied with the explanation of the operator, it shall refer the matter to the Environmental Monitoring Committee constituted under paragraph 3 for further action.

3. Constitution of Environmental Monitoring Committee.— There shall be an Environmental Monitoring Committee shall constituted in every coastal district, consisting of the following members, ex-officio, namely:

- (a) District Collector and Chairperson, District Level Committee : Chairperson;
- (b) District Revenue Officer or Revenue Divisional Officer : Member;
- (c) District Environmental Engineer, Pollution Control Board : Member;
- (d) District Agriculture Officer : Member;
- (e) District Head of Irrigation or Water Resources : Member;
- (f) Chief Executive Officer of Zila Parishad or equivalent : Member;
- (g) Any other officer or expert co-opted by the Chairman : Member;
- (h) Officer authorized under CAA Act : Member;
- (i) District Head of Fisheries Department : Member Convener.

4. Functions and powers of Environmental Monitoring Committee.— (1) The Environmental Monitoring Committee shall inspect the coastal aquaculture unit and review the activity on receipt of the report of the Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee or the person authorised by the Authority that cause pollution and damage to environment.

(2) On establishment of the damage to the environment, the Environmental Monitoring Committee shall depute officers from the Engineering Department or such other departments, as decided by the Chairperson of the Committee for the purpose of assessment of damage to the coastal environment, cost of demolition of coastal aquaculture units or activities that are polluting the coastal environment and submit report of the assessment to the Committee.

(3) On receipt of the report of assessment under sub-paragraph (2), the Committee shall approve the report and issue a notice to the polluting unit in Form R-1 through electronic medium or by Speed post or by registered post

providing the details of the damage, injury or loss caused to the coastal environment, the cost arrived for it and the cost of demolition of the unit or the activities payable by the operator of such polluting unit or activity under intimation to the Authority and the District Level Committee concerned.

(4) The polluter shall bear the cost of the damage or loss of injury so caused.

(5) The Committee shall recommend to the Authority as to the manner in which the cost paid under this paragraph towards damage, injury or loss caused to the coastal environment or the cost recovered for removal or demolition of such unit or activity shall be utilized.

5. Procedure for assessment of cost of damage to the coastal environment and removal or demolition of unit.— (1) While preparing the assessment report, the officers authorised under sub-paragraph (2) of paragraph 4 shall take into account the technical parameters regarding the damage, injury or loss caused to the coastal environment and the cost of the injury, damage or loss caused to the coastal environment by considering the following resources, namely:—

- (a) watercourses in the vicinity;
- (b) ground water quality;
- (c) water quality of the resources;
- (d) drinking water sources;
- (e) any other resources as observed by the officers inspected.

(2) The authorised officers shall assess the cost of demolition of the unit or activity by following the technical parameters such as topography, soil texture, volume and quantity of work to be done for demolition, mode of execution, manual or mechanical cost, other engineering aspects and arrive at the cost based on the schedule of rates of the Central Public Work Department or the State Public Works Department.

(3) On assessment of the cost of damage to the coastal environment, cost of collection and analysis of sample and the cost of demolition of the unit or activity, the officers authorised shall submit the detailed estimate to the Environmental Monitoring Committee within fifteen days from the date of field inspection for onward communication to the concerned operator of the unit or activity for payment of cost accordingly.

(4) The operator of the unit or activity shall also be liable for the payment of penalty under section 14 of Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 including the cost of collection and testing of samples as communicated by the Environmental Monitoring Committee.

6. Payment of cost by the operator of unit or activity.— On receipt of notice from the Environmental Monitoring Committee issued under sub-paragraph (3) of paragraph 4, the operator of the unit or activity shall comply with the following, namely:—

- (a) stop the operation of the unit or activity if so directed, from the date of receipt of notice;
- (b) pay the cost of damage, injury or loss, cost of removal or demolition of the unit or activity or cost of collection and testing of samples as communicated by the Environmental Monitoring Committee within thirty days from the date of receipt of notice to the Authority through Demand Draft in favour of the Coastal Aquaculture Authority payable at Chennai or through electronic means under intimation to the Environmental Monitoring Committee and the District Level Committee;
- (c) if the operator of the unit or activity fails to pay the cost of demolition of the unit or activity or cost of collection and analysis of sample or cost of damage to the coastal environment as communicated by the Committee within the stipulated period, such cost shall be recoverable as an arrear of land revenue under section 22A of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005;
- (d) the District Collector or Chairman of the District Level Committee shall initiate the action to recover the cost from the operator and deposit in the amount into the account of Coastal Aquaculture Authority through Demand Draft in favour of the Authority or through electronic means.

7. Conditions for removal or demolition of coastal aquaculture unit or activity.— The officer authorised by the Authority shall cause the removal or demolition of any unit or activity or structure causing damage to the environment as ordered by the Coastal Aquaculture Authority as per rule 7 of Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, and subject to the following conditions, namely:—

- (a) issuance of a notice at least twenty-four hours in advance to the unit operator concerned, intimating the owner about the decisions of the Authority for the removal or demolition of the

unit or activity or structure, provided that the Authority may waive the requirement of the notice in such cases as it thinks fit for specific reasons to be recorded in writing;

- (b) the removal or demolition of the unit or the activity shall be carried out in the presence of the owner or his representative;
- (c) removal or demolition of structures shall be conducted preferably during the daytime;
- (d) the procedure as specified in the Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008 shall be followed for the collection of samples of water, soil, aquaculture inputs, and farmed animals to detect prohibited antibiotics and other active compounds.

8. Utilisation of amount received towards cost of demolition of unit or activity.—(1) The money from the account of the Authority shall be released to such executing agency as may be determined by the District Collector or Chairman of the District Level Committee, for removal or demolition of the coastal aquaculture unit or activity.

(2) The officer authorised under paragraph 7 by the Authority shall monitor the progress of the work executed by the executing agency and report to the Environmental Monitoring Committee.

(3) The officers deputed by the Environmental Monitoring Committee shall maintain the record of the amount released to the executing agency and furnish the report to the Environmental Monitoring Committee or the District Level Committee and to the Authority.

(4) The Authority shall release fifty percent of the amount referred to in sub-paragraph (1) as an advance amount prior to commencement of the work and the remaining amount on completion of the work after considering the recommendation of the District Level Committee.

(5) The Authority shall maintain proper records and registers of the amount received and its utilisation.

9. Utilisation of amount received towards the cost of damage to the environment: (1) The amount received towards the cost of damage to the coastal environment shall be credited into the account of the Authority.

(2) The executing agency shall execute the restoration of the damage to the coastal environment under the supervision of the officer authorised by the Authority.

(3) The officers deputed by the Environmental Monitoring Committee shall assess the cost of work done for restoration of the coastal environment by the executing agency and report to the Environmental Monitoring Committee and the District Level Committee and the Authority.

Form R-1

[See Sub-paragraph (3) of paragraph 4]

Notice to the operator of the polluting coastal aquaculture unit/activity

| | | |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Name and address of the operator of the polluting coastal aquaculture unit/activity | |
| 2. | Type of coastal aquaculture unit/activity (farm/ hatchery/ mariculture unit/ BMC/ NBC/ etc., (specify)) | |
| 3. | Location of the polluting unit / activity | |
| | a. Survey No(s). | |
| | b. Geo coordinates | Longitude: Latitude: |
| | c. Village | |
| | d. Taluk/Mandal | |
| | e. District | |
| | f. State | |
| | g. PIN Code | |

| | | |
|----|---|--|
| 4. | Registration No issued by the CAA (if applicable) with date of issue and validity period | |
| 5. | Extent of the unit/ activity (ha) (Total Farm Area and Water Spread Area (ha) in case of farms) | |
| 6. | Nature of the damage, injury or loss caused to the coastal environment | |
| 7. | The cost arrived (Rupees) | |
| | a. Cost of the Damage to the Environment | |
| | b. Cost for demolition of the unit. | |
| | c. Cost for compensation to restore the environment | |
| | d. Cost of sample collection and analysis. | |
| | e. Expenditure towards TA, DA and other incidental expenditure for officers/staff involved in the survey and assessment, etc. | |
| | f. Any other expenditure (Specify) | |
| | Total cost payable | |
| 8. | Due date for payment | |

Note:

1. The payment shall be made through Demand Draft (DD) in favour of the Coastal Aquaculture Authority payable at Chennai or through electronic means
2. The DD shall be submitted to the CAA through the District Level Committee (DLC)
3. In case of payment through electronic means, shall be deposited in the account of the Coastal Aquaculture Authority.
4. The DLC, on receipt of payment from the operator of the unit /activity shall forward to the CAA with detailed report

Place:

Date:

Signature of the Chairperson, DLC/
Environmental Monitoring Committee
with office seal

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.